न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरसूद जि. खंडवा (म.प्र.)

(पीठासीनः—सिद्धार्थ कुमार)

Registration No. - RCT/311/2022
Filing No. - 1253/2022
C.N.R. No.- MP1205-001503-2022
Filing Date - 14-10-2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
थाना प्रभारी, पुलिस थाना हरसूद,
जिला खंडवा (म.प्र.)

—————अभियोजन

विरूद्ध

1. शाहदत खान पिता रजाक खान उम्र 50 वर्ष,
2. आलम शाह पिता शाहदत खान उम्र 25 वर्ष,
दोनों निवासी— वार्ड क्रमांक 09 छनेरा, तहसील हरसूद
जिला खंडवा म.प्र.

—————अभियुक्तगण

पुलिस थाना हरसूद, जिला खंडवा के अपराध क्रमांक 334/2022, अपराध अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 427 भाग—2 भादस. से उदभूत प्रकरण।

राज्य द्वारा श्री अनिल चौहान एडीपीओ।
अभियुक्तगण द्वारा श्री संदीप बोरसे अधिवक्ता।

शिकायतकर्ता	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— थाना प्रभारी, पुलिस थाना हरसूद, जिला खंडवा (म.प्र.)

अभियोजन अधिकारी	श्री अनिल चौहान ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	1. शाहदत खान पिता रजाक खान उम्र 50 वर्ष, 2. आलम शाह पिता शाहदत खान उम्र 25 वर्ष, दोनों निवासी– वार्ड क्रमांक 09 छनेराा, तहसील हरसूद जिला खंडवा म.प्र.
अभियुक्त अधिवक्ता	श्री संदीप बोरसे अधिवक्ता।

घटना दिनांक	10.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	11.08.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	14.10.2022
आरोप/अपराध विवरण दिनांक	05.06.2023
साक्ष्य/बचाव साक्ष्य यदि हो तो समाप्ति दिनांक	निरंक
अंतिम तर्क पश्चात निर्णय दिनांक	08.12.2025
निर्णय की तारीख	08.12.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा–428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अविध
1.	शाहदत	20.08.25	20.08.25	294, 323, 427 एवं	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

				506 भाग–2			
2.	आलम शाह	निरंक	निरंक	294, 323, 427 एवं 506 भाग–2	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

अभियोजन साक्षीगण

साक्षी क्र.	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति दस्तावेज का विवरण प्रदर्श संख्या
अ.सा. 1	रजाक खां	फरियादी
अ.सा. 2	समीर	अनुसंधान साक्षी
अ.सा. 3	सोहिल खां	अनुसंधान साक्षी

बचाव साक्षीगण

साक्षी क्रं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकति	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

न्यायालय साक्षीगण

साक्षी क्रं.	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

प्रोसिक्यूशन/डिफेंस/कोर्ट एक्सबिट लिस्ट

A- अभियोजन

क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट

2.	प्र.पी. 2	पुलिस कथन रजाक खां
3.	प्र.पी. 3	नक्शा मौका
4.	प्र.पी. 4	जप्ती पत्रक
5.	प्र.पी. 5	नुकसानी पंचनामा
6.	प्र.पी. 6	पुलिस कथन समीर
7.	प्र.पी. 7	पुलिस कथन सोहिल खान

B- **बचाव**

कं.	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	निरंक	निरंक

C- **कोर्ट एक्सिबिट**

कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	निरंक	निरंक

D- **मटेरियल आब्जेक्ट**

कं.	मटेरियल आब्जेक्ट संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

//निर्णय //
(आज दिंनाक 08.12.2025 को घोषित किया गया)

---

01. अभियुक्तगण पर भा.द.सं. की धारा 294, 323, 506 एवं 427 के अधीन अभियोग है कि उन्होंने दिनांक 10.08.2022 को समय दोपहर 02:00 बजे थाना हरसूद जिला खंडवा (म.प्र.) के अंतर्गत स्थित भारत वेल्डिंग मटेरियल दुकान ग्राम सडियापानी रोड़ छनेरा में फरियादी समीर को अश्लील शब्द उच्चारित कर मां बहन की नंगी नंगी गालियां देकर उसे तथा अन्य

सूनने वालों को क्षोभकारित कर फरियादी/आहतगण समीर, सोहेला तथा रजाक के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी की दुकान को क्षति कारित करने के आशय से उसकी दुकान को तोड़कर रिष्टी कारित की।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है। इस कारण अभियुक्तगण को भादसं की धारा 294, 323, 34, 506 भाग–2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। यह निर्णय भादसं की धारा 427 के संबंध में अभिलिखित किया जा रहा है।

03. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.08.2022 को आहत/फरियादी समीर पिता रजाक खान ने थाना हरसूद में हाजिर होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को 10.08.2022 के दोपहर 02:00 बजे वह अपनी दुकान सडियापानी रोड़ भारत विल्डिंग मटेरियल दुकान पर बैठा था, तभी शाहदत, आलम, मोईन शाह और आसीम आए और पुराने लेन देन की बात को लेकर उसे एवं सोहेल को मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी, जो सुनने में बुरी लगी। उन्हें गालियां देने से मना किया तो मोईन ने फरियादी का हाथ पकड़ लिया तथा शाहदत ने लोहे की राड़ से बाए तरफ गर्दन व सिर में मारी तथा उसका छोटा भाई सोहेल को आसीम ने पत्थर उठाकर मारा जो उसके सिर में मारा, मोईन ने भी लोहे की राड़ बांए कंधे व सिर में मारी, उसके छोटे भाई सोहेल ने पिता रजाक को फोन कर बताया कि शाहदत व उसके लड़के उनके साथ मारपीट कर रहे है, तब उसके पिता रजाक आए, उनके साथ भी चारों ने मिलकर राड व पाईप से मारपीट की, जिससे उन्हें दाहिने कान व सिर में चोट लगी

तथा चारों ने दुकान में तोड फोड की। चारों जाते जाते बोल रहे थे कि रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे तथा महिलाओं से रिपोर्ट करवा कर फंसा देंगे। घटना रजत व दिनेश ने देखी व बिच बचाव किया। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर आरोपीगण के विरूद्ध से प्रथम सूचना रिपार्ट लेखबद्ध की गई। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। लोहे की राड व पाईप जप्त किया गया। आहत एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका –1 के अनुसार अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए, जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया, एवं प्रतिरक्षा की मांग की। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई परिस्थिति ना होने से अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.स. नहीं किया गया।

05. प्रकरण के न्यायोचित निरोकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न विद्यमान हैं:–

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.08.2022 को समय दोपहर 02:00 बजे थाना हरसूद जिला खंडवा (म.प्र.) के अंतर्गत स्थित भारत बिल्डिंग मटेरियल दुकान ग्राम सडियापानी रोड़ छनेरा में फरियादी समीर की दुकान को क्षति कारित करने के आशय से उसकी दुकान को तोड़कर रिष्टी कारित की?

//सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 के संबंध में:–

06. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में रजाक खां (असा–1), समीर खां (असा–2) एवं सोहिल खान (असा–3) का परीक्षण कराया गया है।

07. रजाक खां (असा–1) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण शाहदत एवं आलम को जानता है। घटना दिनांक 10.08. 2022 को दोपहर दो बजे की बात होकर ग्राम सडियापानी रोड़ छनेरा उसकी वेल्डिंग मशीन की दुकान की है। उसके लड़के समीर एवं शोहेल ने फोन पर बताया कि उनका शाहदत एवं आलम एवं मोईन व आसीम से विवाद हो गया है। इसके बाद वह अपनी दुकान पर गया जहां उसने देखा तो आरोपीगण व उसके दोनों बेटों का विवाद चल रहा था और कहा सुनी हो गई थी। इसके बाद आरोपीगण उससे भी विवाद करने लगे, जिसके संबंध में उसने थाना हरसूद पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्र.पी. 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका इलाज हुआ था। पुलिस ने उसके बयान लिए थे।

08. सहायक लोक अभियोजक द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है।

09. रजाक खां (असा–1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कुछ कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे, उसमें पुलिस ने क्या लिखा था, उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और ना ही

उसने पढ़ा था। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि प्र.पी. 1 पर पुलिस के कहने से हस्ताक्षर किए थे।

10. साक्षी समीर खां (असा–2) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण शाहदत एवं आलम को जानता है। घटना दिनांक 10.08.2022 को दोपहर दो बजे की बात होकर ग्राम सडियापानी रोड़ छनेरा उसकी वेल्डिंग मशीन दुकान की है। उसका तथा उसके भाई सोहिल का आरोपीगण से पुराने लेन देन की बात से विवाद हो गया था। इसके बाद अपने पिता को फोन पर बताया कि उनका शाहदत एवं आलम एवं मोईन व आसीम से विवाद हो गया है। इसके बाद उसके पिता दुकान पर आए। आरोपीगण ने उसके पिता रजाक के साथ भी विवाद किया था। आरोपीगण व उनके मध्य कहा सुनी हो गई थी, जिसके संबंध में उसके पिता ने थाना हरसूद पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्र.पी. 3 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई सामग्री जप्त नहीं की थी, किंतु जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया था, किंतु नुकसानी पंचनामा प्र.पी. 5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका इलाज हुआ था। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। सोहिल खां (असा–3) ने अपनी साक्ष्य में समीर खां (असा–2) की संपूर्ण साक्ष्य का समर्थन किया है।

11. सहायक लोक अभियोजक द्वारा इन साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इन साक्षियों ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है।

12. धारा 427 भा.द.स. का अपराध गठित करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त द्वारा किसी संपत्ति को रिष्टी कारित की गई हो। हस्तगत मामले में साक्षीगण रजाक खां (असा–1), साक्षी समीर (असा–2) एवं सोहिल खां (असा–3) के न्यायालयीन कथन में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। साक्षीगण ने मात्र यह व्यक्त किया है कि पुराने लेन देन की बात को लेकर उनके मध्य कहा सुनी हो गई थी, परंतु साक्षीगण ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उनके साथ गाली गलौंच की थी और साक्षी समीर और सोहेल एवं रजाक के साथ लोहे की राड से मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की थी। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की दुकान को तोड़कर रिष्टी कारित किया जाना साबित नहीं होता है।

13. प्रकरण में सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया गया है। इस परिस्थिति में धारा 427 के संबंध में अभियोजन कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने 10.08.2022 को समय दोपहर 02:00 बजे थाना हरसूद जिला खंडवा (म.प्र.) के अंतर्गत स्थित भारत बिल्डिंग मटेरियल दुकान ग्राम सडियापानी रोड़ छनेरा में फरियादी समीर की दुकान को क्षति कारित करने के आशय से उसकी दुकान को तोड़कर रिष्टी कारित की।

15. परिणामस्वरूप अभियुक्त 1. शाहदत खान पिता रजाक खान उम्र 50 वर्ष 2. आलम शाह पिता शाहदत खान उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी–

वार्ड क्रमांक 09 छनेराा, तहसील हरसूद जिला खंडवा म.प्र. को भा.द.स. की धारा 427 में दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16. अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

17. प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की राड व पाईप मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में संपत्ति का माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार व्ययन किया जावे।

18. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने की अवधि शून्य है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हरसूद, जिला खंडवा (म.प्र.)

उसके उद्बोधन पर टंकित।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
हरसूद, जिला खंडवा (म.प्र.)